

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 474]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 1 अक्टूबर 2020 — आश्विन 9, शक 1942

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 15 सितम्बर 2020

अधिसूचना
संख्या 62/2020-राज्य कर

क्रमांक एफ 10-72/2020/वाक/पांच(102).— राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 7), की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, छत्तीसगढ़ माल और सेवाकर नियम, 2017 में संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती है:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का नाम छत्तीसगढ़ माल और सेवाकर (दसवां संशोधन) नियम, 2020 है।
(2) ये दिनांक 20-08-2020 से प्रभावशील मानी जाएगी।
- छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम 2017 (जिसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के, नियम 8 में, उपनियम 4(क) के स्थान पर, 01 अप्रैल, 2020 से, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“(4क) जहां कोई आवेदक, जो कि धारा 25 की उपधारा 6(घ) के अंतर्गत अधिसूचित व्यक्ति से भिन्न हो, आधार संख्या के अभिप्रमाणन के विकल्प का चयन करता है तो, उपनियम (4) के अंतर्गत आवेदन को भरते समय, 21 अगस्त, 2020 से प्रभावी, उसकी आधार संख्या का अभिप्रमाणन किया जायेगा और उन मामलों में आवेदन को भरे जाने की तारीख, वह तारीख मानी जायेगी, जो उसकी आधार संख्या की अभिप्रमाणन की तारीख या उपनियम (4) के अंतर्गत प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 के भाग ख में आवेदन के भरे जाने से पंद्रह दिन बाद की तारीख, दोनों में से जो भी पूर्वतर होगी।”

- उक्त नियम में, नियम 9 में, 21 अगस्त, 2020 से प्रभावी

(i) उपनियम (1) में परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“परंतु जहां कि कोई व्यक्ति, जो कि धारा 25 की उपधारा 6(घ)के अंतर्गत अधिसूचित व्यक्ति से भिन्न हो, नियम 8 के उपनियम (4क) में यथा विनिर्दिष्ट आधार संख्या का अभिप्रमाणन की प्रक्रिया में चूक जाता

है या आधार संख्या के अभिप्रमाणन के विकल्प का चयन नहीं करता है, तो उसका रजिस्ट्रीकरण, उस व्यक्ति की उपस्थिति में, नियम 25 के अंतर्गत यथाविनिर्दिष्ट रीति के अनुसार उसके कारबार के स्थान का प्रत्यक्ष सत्यापन किये जाने के बाद, किया जायेगा:

परंतु यह और कि उचित अधिकारी, संबंधित कारणों को लिखित रूप से लेखबद्ध करते हुए और ऐसे अधिकारी के अनुमोदन से जिसका पद की संयुक्त आयुक्त के पद से नीचे नहीं है, कारबार के स्थान का प्रत्यक्ष सत्यापन किये जाने के स्थान पर, ऐसे दस्तावेजों को सत्यापन कर सकता है जिसे वह ठीक समझे”;

(ii) उपनियम (2) में स्पष्टीकरण से पहले, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात:-

“परंतु यह और कि जहां कोई व्यक्ति, जो कि धारा 25 की उपधारा 6(घ) के अंतर्गत अधिसूचित व्यक्ति से भिन्न हो, नियम 8 के उपनियम (4क) में यथाविनिर्दिष्ट आधार संख्या का अभिप्रमाणन की प्रक्रिया में चूक जाता है या आधार संख्या के अभिप्रमाणन के विकल्प को चयन नहीं करता है, तो प्ररूप जीएसटी आरईजी-03 में नोटिस, ऐसे आवेदन को प्रस्तुत किये जाने की तारीख से इक्कीस दिन की अवधि के भीतर जारी किया जा सकेगा।”;

(iii) उपनियम (4) में, शब्द “देगा” के स्थान पर शब्द “सकेगा” और शब्द “करेगा” के स्थान पर शब्द “कर सकेगा” प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(iv) उपनियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात:-

“(5) यदि उचित अधिकारी कोई भी कार्यवाही करने से चूक जाता है -

- (क) ऐसे मामले में जिसमें कि किसी व्यक्ति की आधार संख्या का अभिप्रमाणन सफलता पूर्वक हो जाता है या वह धारा 25 की उपधारा 6(घ) के अंतर्गत अधिसूचित है आवेदन को प्रस्तुत किये जाने की तारीख से तीन कार्य-दिवस के भीतर; या
- (ख) ऐसे मामले में जिसमें कि कोई व्यक्ति, जो कि धारा 25 की उपधारा 6(घ) के अंतर्गत अधिसूचित व्यक्ति से भिन्न है, नियम 8 के उपनियम (4क) में यथा विनिर्दिष्ट आधार संख्या का अभिप्रमाणन की प्रक्रिया में चूक जाता है, तो उपनियम (2) के परंतुक के अंतर्गत यथाविनिर्दिष्ट अवधि के भीतर
- (ग) ऐसे मामले में जिसमें कि ऐसे व्यक्ति ने आधार संख्या के अभिप्रमाणन के विकल्प का चयन नहीं किया है, आवेदन को प्रस्तुत किये जाने की तारीख से इक्कीस दिन की अवधि के भीतर; या
- (घ) उपनियम (2) के अंतर्गत, आवेदक के द्वारा प्रस्तुत किये गये स्पष्टीकरण, सूचना या दस्तावेजों की प्राप्ति की तारीख से सात कार्य दिवस के भीतर,

तो रजिस्ट्रीकरण के लिए किये गये आवेदनके बारे में यह माना जायेगा कि उसे अनुमोदित कर दिया गया है।”

4. उक्त नियमों में, नियम 25 में, 21 अगस्त, 2020 से प्रभावी, “असफल होने के कारण” शब्दों के पश्चात “या आधार के अभिप्रमाणन के विकल्प का चयन न किये जाने के कारण” शब्दों अंतःस्थापित किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनिंदर कौर द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 15 सितम्बर 2020

क्रमांक एफ 10-72/2020/वाक/पांच(102).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-72 /2020/वाक/पांच(102) दिनांक 15-09-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनिंदर कौर द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 15th September 2020

NOTIFICATION
No. 62/2020- State Tax

No. F 10-72/2020/CT/V(102).— In exercise of the powers conferred by section 164 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: -

1. Short Title and commencement.-(1) These rules may be called the Chhattisgarh Goods and Services Tax (Tenth Amendment) Rules, 2020.

(2) This notification shall be deemed to have come in to force on 20th August, 2020.

2. In the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 8, for sub-rule (4A), the following sub-rule shall be substituted with effect from 01st April, 2020, namely:-

“(4A) Where an applicant, other than a person notified under sub-section (6D) of section 25, opts for authentication of Aadhaar number, he shall, while submitting the application under sub-rule(4), with effect from 21st August, 2020, undergo authentication of Aadhaar number and the date of submission of the application in such cases shall be the date of authentication of the Aadhaar number, or fifteen days from the submission of the application in Part B of FORM GST REG-01 under sub-rule (4), whichever is earlier.”.

3. In the said rules, in rule 9, with effect from 21st August, 2020,-

(i) in sub-rule (1), for the proviso, the following provisos shall be substituted, namely:-

“Provided that where a person, other than a person notified under sub-section (6D) of section 25, fails to undergo authentication of Aadhaar number as specified in sub-rule (4A) of rule 8 or does not opt for authentication of Aadhaar number, the registration shall be granted only after physical verification of the place of business in the presence of the said person, in the manner provided under rule 25:

Provided further that the proper officer may, for reasons to be recorded in writing and with the approval of an officer not below the rank of Joint Commissioner, in lieu of the physical verification of the place of business, carry out the verification of such documents as he may deem fit.”;

(ii) in sub-rule (2), before the Explanation, the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided that where a person, other than a person notified under sub-section (6D) of section 25, fails to undergo authentication of Aadhaar number as specified in sub-rule (4A) of rule 8 or does not opt for authentication of Aadhaar number, the notice in FORM GST REG-03 may be issued not later than twenty one days from the date of submission of the application.”;

(iii) in sub-rule (4), for the word, “shall”, the word “may” shall be substituted;

(iv) for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(5) If the proper officer fails to take any action, -

(a) within a period of three working days from the date of submission of the application in cases where a person successfully undergoes authentication of Aadhaar number or is notified under sub-section (6D) of section 25; or

(b) within the time period prescribed under the proviso to sub-rule (2), in cases where a person, other than a person notified under sub-section (6D) of section 25,

fails to undergo authentication of Aadhaar number as specified in sub-rule (4A) of rule 8; or

(c) within a period of twenty one days from the date of submission of the application in cases where a person does not opt for authentication of Aadhaar number; or

(d) within a period of seven working days from the date of the receipt of the clarification, information or documents furnished by the applicant under sub-rule (2),

the application for grant of registration shall be deemed to have been approved.”.

4. In the said rules, in rule 25, with effect from 21st August, 2020, after the words “failure of Aadhaar authentication”, the words “or due to not opting for Aadhaar authentication” shall be inserted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANINDER KAUR DWIVEDI, Principal Secretary.